माननीय हेमन्त गुप्ता और मोहिंदर पाल न्यायाधीश जी के समक्ष

गुरमैल सिंह दहड़ली और अन्य, -याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ और अन्य, -प्रतिवादी
सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 6223
26 मई, 2008

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए पेंशन लाभ में विसंगति को दूर करने की मांग- मंत्रियों का समूह सबसे निचले रैंक की पेंशन में सुधार की सिफारिश कर रहा है- सरकार 1 जनवरी 2006 से पेंशन के लाभ को प्रतिबंधित कर रही है- उसे चुनौती- वित्तीय बाधा कि याचिका - उत्तरदाता कोई डेटा देने में असफल रहे - मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को विसंगति उत्पन्न होने की तारीख से लागू किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य तारीख से - कट ऑफ डेट तय करने की सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना है - याचिका स्वीकार की गई, उत्तरदाताओं को संशोधित पेंशन देने का निर्देश दिया गया याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी समान रूप से स्थित पीबीओआर को लाभ 1 जनवरी 1996 से प्रभावी।

अभिनिर्धारित किया गया कि 7 जून 1999 के परिपत्र का पैरा 2.2 स्वयं कहता है कि सेवा पेंशन में संशोधन पीबीओआर सेवानिवृत्त लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। 1 फरवरी, 2006 के परिपत्र का पैरा

5, 7 जून, 1999 के परिपत्र के पैरा 2.24 (ए) का स्पष्टीकरण है। इसलिए, 7 जून, 1999 के परिपत्र में मंत्री समूह की सिफ़ारिशों के बाद उक्त पैराग्राफ को जोड़ने से पता चलता है कि पेंशन के संबंध में मुद्दा स्पष्ट हो गया था। ऐसा लाभ पहली बार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, उक्त वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न विसंगति के परिणामस्वरूप हुई थी और इस प्रकार, विसंगति उत्पन्न होने वाले दिन से ही इसे दूर किया जाना चाहिए।

(पारा 10)

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि लाभ देने के लिए अंतिम तिथि तय करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध मानदंड है, लेकिन न तो उत्तरदाताओं ने वित्तीय बाधाओं के संबंध में कोई डेटा दिया है और न ही ऐसी वित्तीय बाधाएं प्रासंगिक हो सकती हैं जब पेंशन लाभ में विसंगति निकाला जानै की मांग की जाती है। यदि भारत सरकार के अन्य सभी सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित पेंशन का लाभ मिला है तो सशस्त्र बलों के सबसे निचले रैंक के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के लाभ से वंचित क्यों किया गया है। चूंकि मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसरण में विसंगति को दूर करने की मांग की गई है, पीबीओआर उस तारीख से पेंशन को संशोधित करने का हकदार होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को संशोधित पेंशन लाभ मिला है। वित्तीय बाधाओं की दलील सशस्त्र बलों के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में उठाई गई है, जबकि सेवाओं सहित अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया

है। इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार पूरी तरह से मनमाना है।

(पारा 11)

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया गया कि यह कोई नई योजना नहीं है जिसे शुरू किया जा रहा है, बल्कि एक विसंगति है जिसे केवल संशोधित पेंशन लाभ देने वाले परिपत्र में देखा गया था जिसे मंत्रियों के समूह की सिफारिशों द्वारा दूर करने की मांग की गई है। ऐसी सिफ़ारिशें विसंगति उत्पन्न होने की तारीख से प्रभावी होनी चाहिए, न कि किसी अन्य तारीख से।

(पारा 12)

याचिकाकर्ता के वकील भीम सेन सहगल
प्रतिवादी की ओर से सुश्री रंजना शाही, केंद्र सरकार की स्थायी वकील।

हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता भारतीय वायु सेना के अधिकारी रैंक से नीचे के पूर्व कार्मिक (बाद में उन्हें "पीबीओआर" कहा जाएगा) हैं। सभी याचिकाकर्ता 1 जनवरी, 1996 से पहले सेवानिवृत्त हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सिविल सेवकों सहित सशस्त्र बलों के वेतन और पेंशन ढांचे की जांच के लिए किया गया था। उक्त वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और कमीशन अधिकारियों और पीबीओआर के

संबंध में पेंशन लाभ से संबंधित एक परिपत्र 7 जून, 1999 को जारी किया गया था। ऐसे पेंशन लाभों को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित किया गया था। पीबीओआर को देय पेंशन लाभों के संबंध में एक विसंगति थी जिसके कारण व्यापक नाराजगी हुई और अंततः जनवरी, 2005 में भारत सरकार द्वारा मंत्रियों के समूह की एक समिति का गठन मुद्दे पर गौर करने के लिए किया गया। मंत्रियों का समूह इस बात पर सहमत हुआ कि पीबीओआर के पेंशन लाभों में सुधार का औचित्य है, विशेष रूप से तीन सबसे निचले रैंक यानी सिपाही, नाइक और हवलदार, जिनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने पीबीओआर की पेंशन में सुधार के संबंध में 1 फरवरी, 2006 को एक परिपत्र जारी किया, लेकिन 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हुआ। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे पेंशनभोगी लाभ जिसे दिनांक 1 फरवरी, 2006 के परिपत्र द्वारा प्रसारित किया गया, 1 जनवरी, 2006 से लाभ को प्रतिबंधित करने की सीमा तक अवैध है क्योंकि यह उस हद तक मनमाना, भेदभावपूर्ण, बिना किसी तर्कसंगत आधार के है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता लाभ के हकदार हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता 1 फरवरी 2006 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ पाने के हकदार हैं जिस तारीख से अन्य सभी रैंकों को अपनी पेंशन संशोधित मिली है यानी 1 जनवरी 1996 से प्रभावी।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया है कि पीबीओआर के संबंध में पेंशन लाभ के प्रयोजनों के लिए गणना योग्य परिलब्धियाँ वास्तविक आहरित वेतन नहीं

है, बल्कि वेतनमान का अधिकतम वेतन है, जिसमें उच्चतम वर्गीकरण भत्ते का 50%, यदि कोई हो, शामिल है, धारित रैंक और समूह का जिसमें सेवामुक्ति के समय कम से कम 10 महीने तक लगातार भुगतान किया गया हो। यह तीसरे और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय और पांचवें वेतन आयोग की वेतन सिफारिश को स्वीकार करते समय पीबीओआर के संबंध में लिया गया निर्णय था, जो 3 फरवरी, 1998 के परिपत्र से स्पष्ट है। 3 फरवरी , 1998 के परिपत्र से संबंधित उद्धरण भारत सरकार द्वारा 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों की स्वीकृति के बारे में सेना प्रमुख नौसेना स्टाफ के प्रमुख और वायु सेना के प्रमुख को सूचित करना, निम्नानुसार पढ़ते हैं :

गणनीय परिलब्धियाँ :-

3.1 'गणनीय परिलब्धियाँ' शब्द का अर्थ होगा-

गणनायोग्य परिलब्धियाँ

श्रेणी	सेवानिवृत्त / सेवा / अमान्य पेंशन	पारिवारिक पेंशन	सभी प्रकार के ग्रेच्युटी

अधिकारियों	अंतिम आहरित रैंक वेतन ठहराव वेतन वृद्धि और एनपीए, यदि कोई हो, वेतन सहित	अंतिम आहरित रैंक वेतन ठहराव वेतन वृद्धि और एनपीए, यदि कोई हो, वेतन सहित	अंतिम आहरित रैंक वेतन ठहराव वेतन वृद्धि और एनपीए, यदि कोई हो साथ ही सेवानिवृत्ति/ अशक्तता/ मृत्यु की तिथि पर स्वीकार्य महं
अधिकारी पद से नीचे के कार्मिक	वेतनमान का अधिकतम वेतन, जिसमें धारित पद और जिस समूह में भुगतान किया गया है, उसके उच्चतम वर्गीकरण भत्ते का 50%, यदि कोई हो, शामिल है	वर्गीकरण भत्ता, ठहराव वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, सहित अंतिम बार व्यक्ति द्वारा लिया गया वेतन	वेतन में वर्गीकरण भत्ता और ठहराव वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, और सेवानिवृत्ति/अशक्तता/मृत्यु की तिथि पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता शामिल है

वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता, वर्गीकरण भत्ता, रैंक वेतन और ठहराव वेतन वृद्धि.

3.2 xx xx xx xx

1. गणना योग्य परिलब्धियाँ शब्द का अर्थ होगा: –

(ए) अधिकारी। – xx xx xx xx xx

(बी) एनईएस (ई) सहित पीबीओआरएस – पूर्व-संशोधित वेतनमान में रैंक और समूह के वेतनमान का अधिकतम वेतनमान और वेतन समूह के लिए उपयुक्त उच्चतम वर्गीकरण वेतन का 50% प्लस एआईसीआईआई 1436 और अंतरिम तक वास्तविक महंगाई भत्ता राहत I और II । ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए, मूल वेतन, वास्तव में प्राप्त वर्गीकरण वेतन को गणना योग्य परिलब्धियों की गणना में शामिल किया जाएगा।

3. हालाँकि, कमीशन अधिकारियों और पीबीओआर के संबंध में पेंशन लाभ की अनुमति देने वाले 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में 7 जून, 1999 को परिपत्र जारी करते समय, इसे निम्नानुसार परिचालित किया गया था: -

"2.1 प्रतिबद्ध अधिकारी

1 जनवरी, 1996 के बाद और उससे पहले के मामले:

(ए) पेंशन की गणना सभी मामलों में औसत परिलब्धियों के 50% पर की जाती रहेगी और न्यूनतम

1275 रुपये प्रति माह के अधीन होगा और सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लागू उच्चतम वेतन का अधिकतम 50% तक, लेकिन किसी भी स्थिति में पूर्ण पेंशन, उसकी सेवानिवृत्ति के समय कमीशन प्राप्त अंतिम रैंक के लिए 1 जनवरी, 1966 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। हालाँकि, ऐसी पेंशन आनुपातिक रूप से कम की जाएगी, जहाँ पेंशनभोगी के पास पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम आवश्यक सेवा से कम है।

(बी) और (सी) xx xx xx xx xx

2.2 पी.बी.ओ.आर.

1 जनवरी, 1996 के बाद और उससे पहले के मामले:

पीबीओआर सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में इन संशोधित आदेशों के संदर्भ में सेवा पेंशन का संशोधन मानद जेसीओएस के रैंक को छोड़कर फायदेमंद नहीं होगा। सेवा पेंशन के रूप में लेफ्टिनेंट और कैप्टन के कमीशन की गणना वेतनमान के अधिकतम पर की जाती है, जिसमें उच्चतम वर्गीकरण भत्ते का 50% भी शामिल है, यदि रैंक और समूह में कोई भुगतान किया गया हो।

और (सी) xx xx xx xx xx"

4. उपरोक्त परिपत्र के खंड 2.2 के संदर्भ में, जेसीओ द्वारा दिए गए मानद कमीशन के रैंक को छोड़कर, सेवा पेंशन में संशोधन पीबीओआर सेवानिवृत्त लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वायु सेना के तीन सबसे निचले रैंक, जैसे सिपाही, नेल और हवलदार, को भारत सरकार द्वारा परिचालित पेंशन संशोधन का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मंत्रियों के समूह ने समान रैंक आदि के लिए समान पेंशन का दावा करने वाले पूर्व सैनिकों की मांग की जांच की, जिसमें पाया गया कि पीबीओआर, विशेष रूप से तीन सबसे निचले रैंक के पेंशन लाभों में सुधार करना उचित था। 1 फरवरी, 2006 को मंत्री समूह की सिफ़ारिशों को स्वीकार करते हुए इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार परिचालित किया गया:–

> "2. अंत में, जीओएम ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त पीबीओआर की पेंशन को 1 जनवरी, 1996 के बाद के अधिकतम वेतनमान के संदर्भ में संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा, अतीत के साथ-साथ भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए सिपाही, नायक और हवलदार रैंक का महत्व 30 साल की अधिकतम योग्यता सेवा के अधीन क्रमशः 10, 8 और 6 साल तक बढ़ाया जाएगा। लाभ केवल सेवा पेंशन के संबंध में दिया जाएगा।
>
> 3. जीओएम की उपरोक्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पीबीओआर के पेंशन लाभ से संबंधित प्रासंगिक नियम

विनियमों/निर्देशों में इस पत्र में निर्दिष्ट बाहरी संशोधनों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई है।

4. xx xx xx xx

5. इस मंत्रालय के दिनांक 7 जून, 1999 के पत्र संख्या 1(1)99/डी/डी(पेन/सेवाएं) के पैरा 2.2 (ए) के बाद निम्नलिखित जोड़ा गया है, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले की पोस्ट की पेंशन के संशोधन से संबंधित है :

"1 जनवरी, 2006 से प्रभावी, सेना, नौसेना और वायु सेना में पीबीओआर के सभी रैंकों में 33 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए 1 जनवरी, 1996 से पहले सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन संशोधित वेतनमान में अधिकतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। 1 जनवरी, 1996 से लागू किए गए वेतन में, उच्चतम वर्गीकरण भत्ते का 50%, यदि कोई हो, सेवानिवृत्ति से पहले 10 महीने तक लगातार धारित रैंक और समूह का, बशर्ते न्यूनतम पेंशन 1913 रुपये प्रति माह हो। ऐसी पेंशन कम कर दी जाएगी आनुपातिक रूप से, जहां पेंशनभोगी के पास पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम अर्हक सेवा अर्थात 33 वर्ष से कम है।

6 से 8 xx xx xx xx

9. ये आदेश 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हैं। कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।".

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 1 जनवरी 1996 से पहले की पेंशन 1 जनवरी 1996 को पद के अधिकतम वेतनमान के संदर्भ में तय की जानी है। चूंकि पेंशन लाभ के संबंध में विसंगति थी पीबीओआर को देय। 1 जनवरी, 2006 से लाभ प्रदान करना पूरी तरह से अनुचित है और बिना किसी उचित आधार या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध के बिना है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान ने **जोगिंदर सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य (1)**, **हरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2)** में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले, **जय नारायण जाखड़ बनाम भारत सरकार और अन्य**, **2006** की **सीडब्ल्यूपी नंबर 15400,** पर 14 जनवरी, 2008 को सुनाया गया इस पीठ के फैसले, **ए.आर. लांबा, पूर्व सहायक निदेशक बनाम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं अन्य (3)**, **पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (4)** और **श्रीमती सुवीना चौधरी बनाम चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, (5)** पर भरोसा करते हैं ये तर्क देने के लिए कि यदि पेंशन लाभ के संबंध में कोई विसंगति है, तो उसे उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित कृत्रिम तिथि से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम पी.एन. मेनन और अन्य, (6) तथा पी.के. कपूर बनाम भारत संघ और अन्य, (7) पर भरोसा करते हैं ये

तर्क देने के लिए कि तय की गई तारीख में कटौती को मनमाना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सरकार को इसे अपने संसाधनों से सुरक्षित रूप से प्रबंधित करना है जो सीमित हैं। इस प्रकार, सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर अतिरिक्त लाभ देने की अंतिम तिथि की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी बताया गया कि मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 2006 से पीबीओआर के पेंशन लाभ में सुधार के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था और पेंशन लाभ का उदारीकरण एक सतत प्रक्रिया है और सरकार को इस पर विचार करना होगा और तय करें कि कोई विशेष लाभ किस तारीख से दिया जाना है, इसलिए ऐसी तारीख को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

---

(1) 1998 (7) एसएलआर 699

(2) 2000 (3) एसएलआर 333

(3) 2004 (7) एसएलआर 743

(4) 2006 (1) एस.सी.टी. 633

(5) 1998 (4) एस.सी.टी. 620

(6) (1994) 4 सुप्रीम कोर्ट केस 68

(7) (2007) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 425

8. सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन लाभ में संशोधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय, पीबीओआर को कोई पेंशन लाभ नहीं मिला, जो कि 7 जून, 1999 के परिपत्र से स्पष्ट है, जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह पूरी तरह से अनुचित और अतार्किक होगा कि जबकि केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिला, लेकिन सशस्त्र बलों के सबसे निचले रैंक के कर्मचारियों को पेंशन लाभ में किसी भी वृद्धि से वंचित रखा गया। यद्यपि भारत सरकार का यह रुख है कि एक रैंक एक पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों की मांगों की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि मंत्रियों के समूह को पीबीओआर को देय पेंशन लाभ के संबंध में एक विसंगति मिली। मंत्रियों के समूह की सिफारिश थी कि 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त पीबीओआर की पेंशन को 1 जनवरी, 1996 के बाद के अधिकतम वेतनमान के संदर्भ में संशोधित किया जाना चाहिए। एक बार 1 जनवरी, 1996 से पहले के संबंध में, 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी पद के अधिकतम वेतनमान के संबंध में पेंशन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी, 1 जनवरी, 2006 की कट-ऑफ अपनी तर्कसंगतता खो देती है। पीबीओआर को संशोधित पेंशन लाभ देने के लिए 1 जनवरी 2006 की तारीख चुनने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सिवाय इसके कि यह तारीख सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में

रखते हुए तय की गई है, लेकिन तथ्य यह है कि यह पीबीओआर को देय पेंशन लाभ में एक विसंगति थी। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता. एक बार पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में कोई विसंगति हो जाने पर, पेंशन संबंधी लाभ विसंगति के निर्माण की तारीख से देय होते हैं और वह व्याख्या अकेले ही विसंगति को दूर करने के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करेगी।

9. पी.एन. मेनन के मामले (सुप्रा) में, प्रश्न पेंशन लाभ निर्धारित करने के लिए वेतन के हिस्से के रूप में महंगाई भत्ते पर विचार था। 30 सितंबर, 1977 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन के साथ महंगाई भत्ते के इस तरह के विलय पर विचार किया गया था। चूंकि वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय का अधिकार पहली बार भारत सरकार द्वारा 25 मई, 1977 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बनाया गया था, ऐसा लाभ अंतिम तिथि के बाद सेवानिवृत्त लोगों तक ही सीमित रखा जा सकता है। पी.के. में कपूर के मामले (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेटेज का दावा कर रहा था, जिसमें एक अधिकारी द्वारा आयोजित अंतिम रैंक के आधार पर पेंशन तय की जानी थी। यह माना गया कि 5वें वेतन आयोग की स्वीकृति के संदर्भ में दिए गए वेटेज का अंतिम रैंक के साथ संबंध है और 33 साल की अर्हक सेवा की अवधि अर्हक सेवा की बाहरी सीमा थी, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। उपर्युक्त दोनों निर्णय वेतन

आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगति से निपटते नहीं हैं।

10. 7 जून 1999 के परिपत्र का पैरा 2.2 स्वयं कहता है कि सेवा पेंशन में संशोधन पीबीओआर सेवानिवृत्त लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। 1 फरवरी 2006 के परिपत्र का पैरा 5, 7 जून 1999 के परिपत्र के पैरा 2.2(ए) का स्पष्टीकरण है। अत: दिनांक 7 जून 1999 के परिपत्र में उक्त पैराग्राफ जोड़ने से पता चलता है कि मंत्रिसमूह की अनुशंसाओं के बाद पैराग्राफ जोड़कर पेंशन संबंधी मुद्दे को स्पष्ट किया गया था। ऐसा लाभ पहली बार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, उक्त वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न विसंगति के परिणामस्वरूप थी और इस प्रकार, विसंगति उत्पन्न होने वाले दिन से ही इसे दूर किया जाना चाहिए।

11. हालाँकि वर्तमान मामले में लाभ देने के लिए अंतिम तिथि तय करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध मानदंड है न तो उत्तरदाताओं ने वित्तीय बाधाओं के संबंध में कोई डेटा दिया था और न ही ऐसी वित्तीय बाधाएं प्रासंगिक हो सकती हैं जब पेंशन लाभ में विसंगति को दूर करने की मांग की जाती है। यदि भारत सरकार के अन्य सभी सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित पेंशन का लाभ मिला है तो सशस्त्र बलों के सबसे निचले रैंक के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के लाभ से वंचित क्यों किया गया है। चूँकि मंत्री समूह की सिफ़ारिशों के अनुसरण में विसंगति को दूर करने

का प्रयास किया गया है, पीबीओआर केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को संशोधित पेंशन लाभ मिलने की तारीख से पेंशन को संशोधित करने का हकदार होगा। वित्तीय बाधाओं की दलील सशस्त्र बलों के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में उठाई गई है, जबकि सेवाओं सहित अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है। इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार पूरी तरह से मनमाना है।

12.जोगिंदर सिंह सैनी के मामले (सुप्रा) में, न्यायालय ने कहा विसंगति के तथ्य को स्वीकार करने और उसे हटाने का निर्णय लेने के बाद, सरकार मनमाने ढंग से तारीख तय नहीं कर सकती जिसके प्रभाव से याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाना है. हरविंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित नहीं किया गया, हालांकि 13 अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया गया। यह बताया गया कि एक बार अनुमोदन मांगे जाने के बाद, वह मूल निर्णय की तारीख से संबंधित होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो उत्तरदाताओं की कार्रवाई के परिणामस्वरूप घृणित भेदभाव होगा। जय नारायण जाखड़ के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रभाव डाला:

> ""पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि प्रतिवादियों का यह रुख कि याचिकाकर्ता वेतन आयोग में विसंगति को दूर करने के लाभ का हकदार

नहीं है, पूरी तरह से अनुचित है। यह 5वें वेतन के कार्यान्वयन के दौरान था आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरदाताओं द्वारा यह पाया गया कि वेतनमान में विसंगति है। एक बार वेतनमान में विसंगति पाई जाती है और उसे दूर करने की मांग की जाती है, तो इसे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से हटाया जाना चाहिए यानी 1 जनवरी, 1996। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 10 अक्टूबर 1997 से उक्त विसंगति को दूर करने की मांग क्यों की जा रही है। 10 अक्टूबर, 1997 से विसंगति को दूर करने के किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, हम उत्तरदाताओं की कार्रवाई नहीं पाते हैं ऐसी तारीख तय करते हुए न्यायोचित... नतीजतन, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी रूप से 5220-140-8140/- रुपये के संशोधित वेतनमान का हकदार है। इस प्रकार याचिकाकर्ता इसका हकदार होगा। उक्त वेतनमान पर सेवानिवृत्ति लाभ"।

13.पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक पेंशनर एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने आयोजित किया निम्नलिखित प्रभाव से:-

> “.....यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब कर्मचारियों के एक समूह के वेतनमान में विसंगति को दूर किया जाता है तो यह इस तथ्य की मान्यता है कि पहले कुछ गलती हुई थी,

जिसे बाद में सुधार लिया गया है। दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों के संबंधित समूह को भुगतान में देरी के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि उनका अधिकार है और वास्तव में वह भुगतान दूसरों को कर दिया गया है। अनामौली हटाए जाने के अलावा किसी अन्य तारीख से बकाया वेतन पर रोक लगाकर उन्हें और अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ सकती।"".

14.सुवीना चौधरी (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय को हाउस कीपर के पद के वेतनमान में विसंगति का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने आयोजित किया निम्नलिखित प्रभाव से:

"....यह सच है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन/वेतनमान को संशोधित करने के लिए हमेशा खुला है और एक तारीख भी निर्दिष्ट करता है जिससे वेतनमान में संशोधन प्रभावी होगा लेकिन जहां किसी पद के वेतनमान के पुनरीक्षण में कोई विसंगति बताई गई हो और उस विसंगति को दूर करने की मांग की गई हो तो उसे उस तारीख से हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब नियोक्ता इसे हटाने का निर्णय लेता है। चीज़ों की प्रकृति के अनुसार इसका संबंध उस तारीख से होना चाहिए जब यह अस्तित्व में थी। ग्रेडों को संशोधित करने की

तारीख के बाद की तारीख से किसी विसंगति को दूर करने का कोई मतलब नहीं होगा। में दूसरे शब्दों में, यदि किसी विसंगति को दूर करके नए ग्रेड दिए जाने थे तो ऐसे ग्रेड उस तारीख से प्रभावी होने चाहिए जब ग्रेड मूल रूप से संशोधित किए गए थे"".

15.कुछ मामलों में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होने वाले केंद्र सरकार के विद्वान वकील श्री हेमेन अग्रवाल ने के.सी. ठाकुर बनाम हरियाणा राज्य, (8) के अनुसार इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया। हालाँकि, उक्त मामला पेंशन के लिए एक नई योजना की शुरुआत से संबंधित है और इस प्रकार, यह माना गया कि 31 मई, 1999 की योजना उन सेवानिवृत्त लोगों पर लागू नहीं होगी जो इससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यह माना गया कि एक बार कर्मचारी, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन नई पेंशन योजना शुरू की गई है, तो उनके पास नई पेंशन योजना द्वारा कवर होने का कोई निहित अधिकार नहीं है और इस योजना की प्रयोज्यता के लिए कोई भी प्रासंगिक तारीख तय की जा सकती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह कोई नई योजना नहीं है जिसे पेश किया जा रहा है, बल्कि एक विसंगति है जिसे संशोधित पेंशन लाभ देने वाले परिपत्र में देखा गया था, जिसे मंत्रियों के समूह की सिफारिश से दूर करने की मांग की गई है। ऐसी सिफ़ारिशें विसंगति उत्पन्न

होने की तारीख से प्रभावी होनी चाहिए, न कि किसी अन्य तारीख से।

16.उपरोक्त के मद्देनजर, हम वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और अंतिम तारीख 1 जनवरी, 2006 और परिपत्र दिनांक 1 फरवरी, 2006 के खंड (9) को रद्द करते हैं और उत्तरदाताओं को सभी याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित पीबीओआर को आज से छह महीने की अवधि के भीतर संशोधित पेंशन लाभ देने का निर्देश देते हैं।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।</u>

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा